बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के 15वीं बैठक की कार्यवाही

पर्षद् की 15वीं बैठक दिनांक 12.05.2026 को सम्पन्न हुई।

उपस्थितिः–

सभी पदेन सदस्य उपस्थित– यथा पंजी।

कार्यवाहीः–

उपस्थित सदस्यों के स्वागत के उपरान्त कार्यावली बिन्दुओं पर सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा प्रस्तुति दी गयी एवं पर्षद् द्वारा इन पर निम्नवत् विचारण किया गयाः–

कार्यावली संख्या	विषय–वस्तु एवं कार्यवाही का अभिलेखन
1–	**पर्षद् के 14वीं बैठक के कार्यवाही की सम्पुष्टि।**
15.1 कार्यवाही की सम्पुष्टि	पर्षद् के 14वीं बैठक की कार्यवाही सम्पुष्ट की गयी।
2–	**पर्षद् द्वारा वर्ष 2025–26 में किये गये कार्यो की समीक्षा**
15.2 पर्षद् के क्रिया कलापों की समीक्षा	पर्षद् द्वारा वर्ष 2025–26 में संचालित विभिन्न क्रिया–कलापों के संदर्भ में प्रस्तुत अद्यतन प्रतिवेदन को संज्ञान में लिया गया। इस क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक बिहार द्वारा निम्न सुझाव दिये गये :– 1. जैव विविधता प्रबन्धन समितियों को क्रियाशील करने हेतु शेष 50 एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का Timeline तैयार कर उपलब्ध कराई जाय ताकि उनके स्तर से संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश निर्गत किया जा सके। 2. बिहार राज्य में उपलब्ध विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता से सम्बन्धित जानकारी पर्षद् के Website पर युक्तिसंगत रूप से प्रदर्शित किये जाने की व्यवस्था की जाय।
3–	**वित्तीय वर्ष 2024–25 के वार्षिक लेखा प्रतिवेदन की प्रस्तुति।**
15.3	पर्षद् की 11वीं बैठक में अनुमोदित वर्ष 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 के वार्षिक लेखा प्रतिवेदनों का महालेखाकार बिहार से पृथक लेखा परीक्षण पूर्ण करा लिए जाने की जानकारी दी गई तथा पर्षद् के वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखा प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया गया।

	निर्णय / अनुशंसा :– **वित्तीय वर्ष 2024–25 के लेखा प्रतिवेदन पर अनुमोदन प्रदान करते हुए महालेखाकार बिहार से ''पृथक लेखा परीक्षा'' शीघ्र करा लिये जाने का सुझाव दिया गया।**
4– 15.4	**वर्ष 2026–27 की कार्य–योजना का प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रावधान।**
	वित्तीय वर्ष 2026–27 में पर्षद् द्वारा संचालित किये जाने वाले कार्यों की योजना पर चर्चा की गई। इस क्रम में जैव विविधता प्रबंध समितियों के लिए एकदिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन, जन (लोक) जैव विविधता पंजी का अद्यतीकरण; जैव विविधता विरासत स्थल की पहचान एवं घोषणा कार्यक्रम; जैव विविधता विरासत वृक्ष की पहचान एवं घोषणा कार्यक्रम; शहरी जैव विविधता के अध्ययन एवं सर्वेक्षण हेतु बिहार राज्य जैव विविधता रणनीति एवं कार्ययोजना का निर्माण; जैव विविधता संबंधी शोध / अध्ययन; स्थानीय जैव विविधता निधि के सृजन एवं बैंक खाता संचालन की व्यवस्था; प्रचार–प्रसार आदि कार्यों की रूप रेखा प्रस्तुत की गई। वर्ष 2026–27 में संचालित कार्यों के लिए गैर वेतन मद में उपबंधित राशि ₹ 566.22 लाख के व्यय हेतु कार्यमद के विभिन्न अवयवों के लिए वित्तीय प्रावधान की चर्चा करते हुए अनुमोदन की अपेक्षा की गयी। **निर्णय / अनुशंसा :–** (i) **वर्ष 2026–27 के कार्यों के लिए अनु– 01 में किये गये वित्तीय प्रावधान को अनुमोदित किया गया।** (ii) **वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए उपबन्धित राशि में वृद्धि की प्रत्याशा में प्रस्तावित पूरक / नये क्रिया–कलापों तथा इस हेतु वित्तीय प्रावधान, जो अनुलग्नक–2 में संलग्न है, पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान किया गया।**
5– 15.5	**Internship Scheme तथा Young Professional Scheme के प्रावधानों का संशोधन।**
	(क) पर्षद् द्वारा संचालित Biodiversity Internship Programme में अर्हता एवं विषय क्षेत्र में संशोधन तथा वृतिका (Stipend) में बढ़ोतरी सम्बन्धी प्रस्ताव पर विमर्श हुआ। ध्यान आकृष्ट किया गया स्नातक एवं स्नातकोत्तर में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्तिम परीक्षा की तिथि से 01 वर्ष तक की अवधि तक के लिए प्रावधान किये जाने से अधिक विद्यार्थियों को अवसर मिल सकेगा। यह भी उल्लेख किया गया कि Internship हेतु 7 और पाठयक्रम को जोड़ने से जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं में कार्य में गतिशीलता आयगी। Interns के लिए निर्धारित वृत्तिका (Stipend) में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर चर्चा की गयी।

(ख) young Professional के लिए पूर्व में निर्धारित विषय एवं मानदेय में संशोधन के प्रस्ताव के आलोक में विस्तृत चर्चा की गयी।

निर्णय / अनुशंसा :–

(i) Internship Programme के अर्हता में स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठयक्रम की अन्तिम परीक्षा की तिथि से 01 वर्ष तक की अवधि के विद्यार्थियों की पात्रता का प्रावधान किये जाने पर सहमति प्रदान की गयी।

(ii) Internship हेतु पूर्व में निर्धारित पाठयक्रमों में निम्नांकित पाठयक्रम जोड़े जाने पर सहमति प्रदान की गई :–

1. **Architecture and Planning**
2. **Sustainability Science/Studies**
3. **Rural Development/Management/Agriculture Extension**
4. **Social Work**
5. **Agri-Business**
6. **Design- Advertising & Communication**
7. **Journalism/Mass-communication**

(iii) Intern के लिए वृतिका में वृद्धि के निम्न प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

Students' Academic Programme	Current Stipend	Proposed Stipend
B.Sc./B. Tech Programme	7,500/-	1-3 Yr: 8,500/- 4th Yr: 10,000/-
M.Sc./M. Tech Programme	10,000/-	12,500/-
Ph.D. Programme + Top-up for self-financed Students	10,000/- + 10,000/-	15,000/- + 10,000/-

(iv) Young Professional के निर्धारित विषयों में Sustainability Science/ Studies, Agriculture Extension तथा Agri-Business विषय जोड़े जाने पर सहमति प्रदान किया गया।

(v) Young Professional के मानदेय में बढ़ोत्तरी के निम्न प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया:–

Qualification	Current Honorarium	Proposed Honorarium
Master's/ Post Graduate Degree	**32,000/- without experience** **36,000/- with 6 months experience**	**36,000/- without experience** **40,000/- with 1 yr experience**
Ph.D. Scholar – Self financed	**36,000/- + Top up 12,000/-**	**42,000/-**
Ph.D.	**42,000/- without experience** **48,000/- with 6 months experience**	**45,000/- without experience** **50,000/- with 1 yr experience**

(vi) सुझाव दिया गया कि संसोधन के साथ दोनों ही कार्यक्रमों के guidelines को संशोधित कर परिचारित किया जाय।

6–

15.6

शोध के नये प्रस्तावों पर चर्चा।

विभिन्न संस्थानों से शोध/विशेष अध्ययन से सम्बन्धित सात नयें प्रस्तावों को विचारण हेतु बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अनु०–03 में प्रदर्शित प्रस्तावों की सूची के विषयवस्तु पर चर्चा की गई।

निर्णय/अनुशंसा :–

1. **सभी सातों प्रस्तावों पर सैद्धान्तिक सहमति दी गई।**
2. **सुझाव दिया गया कि सम्बन्धित प्रधान अन्वेषकों से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त कर पर्षद् में गठित शोध अनुश्रवण समिति के समक्ष इन प्रस्तावों की Scope of Study तथा उनके फलाफल की जैव विविधता संरक्षण में उपयोगिता संबंधी प्रस्तुतिकरण प्राप्त की जाय तथा समिति की अनुशंसा के आलोक में अग्रेतर कार्रवाई की जाय।**

7–

15.7

''जैव विविधता विरासत वृक्ष'' कार्यक्रम की मार्गदर्शिका में संशोधन।

विमर्श के क्रम में ध्यान आकृष्ट किया गया है कि वर्त्तमान में गैर वन क्षेत्रों में अवस्थित विशिष्ट वृक्षों को जैव विविधता विरासत वृक्ष घोषित करने का प्रावधान है। राज्य के अधिसूचित वन क्षेत्रों एवं अन्य भूमि जो वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के प्रयोजनार्थ 'वन' की परिभाषा से अच्छादित हो, पर अवस्थित विलक्षण विशेषताओं से युक्त वृक्षों को भी जैव विविधता विरासत वृक्ष घोषित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा की

	गयी। इस हेतु मार्गदर्शिका की कंडिका–2 में उप कंडिका–3 के उपरांत उप कंडिका–4 जोड़े जाने की प्रस्ताव रखा गया। **निर्णय/अनुशंसा :–** **(i) जैव विविधता विरासत वृक्ष कार्यक्रम की मार्गदर्शिका में अनुलग्नक–4 के अनुरूप उप कंडिका–4 जोड़े जाने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।** **(ii) संशोधित मार्गदर्शिका निर्गत करने का सुझाव दिया गया।**

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह०/–
(अमित कुमार)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

ह०/–
(भारत ज्योति)
अध्यक्ष,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

ज्ञापांकः–BDB/243/2026-478 दिनांकः– 25/05/2026

प्रतिलिपिः– पर्षद् के सभी पदेन सदस्य।

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, बिहार, पटना।
2. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना।
3. प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) बिहार, पटना।
5. सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना।

(अमित कुमार)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना

अनुलग्नक–01

वित्तीय वर्ष 2026–27 हेतु कार्य योजना एवं वित्तीय प्रावधान

वित्तीय उपबंध (2026–27)

	(रू. लाख में)
0001.31.04 सहायक अनुदान (वेतन)	**111.04**
0001.31.06 सहायक अनुदान (गैर वेतन)	**566.22**
कुल–	**677.26**

क्र०सं०	कार्य मद		आकलित राशि (रू. लाख में)
1.	जैव विविधता प्रबन्धन समितियों से सम्बन्धित क्रिया–कलाप		**172.00**
	(i) प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन (25 अनुमण्डलों में 01 दिवसीय कार्यक्रम)	70.00	
	(ii) जैव विविधता पंजियों का सत्यापन एवं अद्यीतकरण (50 पंचायत हेतु)	5.00	
	(iii) जैव विविधता प्रबन्धन समितियों द्वारा पंचायतों में क्रिया–कलाप	80.00	
	(iv) जन जैव विविधता पंजियों का डिजिटाइजेशन	17.00	
2.	प्रशिक्षण / प्रबोधन / Exposure Visit/ Internship तथा अन्य कार्यक्रम		**17.50**
	(i) वन एवं अन्य सेवा संवर्ग का प्रशिक्षण / प्रबोधन	1.50	
	(ii) पर्षद् के अधिकारियों का Exposure Visit	1.00	
	(iv) Internship तथा Young Professionals का नियोजन	15.00	
3.	शोध, अध्ययन इत्यादि		**176.00**
	(i) 2024–25 में स्वीकृत 08 अनुसन्धान कार्य	50.00	
	(ii) आमंत्रित विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन परिभ्रमण	1.00	
	(iii) शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित जैव विविधता अध्ययन (City Biodiversity Index सहित)	90.00	
	(iv) जैव विविधता संबंधित आर्थिक एवं सामाजिक पहलुओं पर शोध – 05 अध्ययन परियोजनाएं	30.00	
	(v) कार्यशाला एवं परामर्श बैठकों का आयोजन	5.00	
4.	अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 2025	30.00	**30.00**

5.	**प्रचार–प्रसार, मुद्रण, फिल्म निर्माण**		**77.50**
	(i) समाचार पत्रों में विज्ञापनों का प्रकाशन	40.00	
	(ii) वृत्त चित्रों का निर्माण	20.00	
	(iii) मुद्रण		
	• जैव विविधता प्रबन्धन समितियों के लिये मार्गदर्शिका एवं पुस्तिकाओं का प्रकाशन।	10.00	
	• विभिन्न आयोजनों में वितरण हेतु ब्रोशर एवं पुस्तिकाओं का प्रकाशन।	2.50	
	• वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन।	3.00	
	• विरासत वृक्ष पुस्तिका।	1.00	
	• विशिष्ट अध्ययन प्रतिवेदनों का प्रकाशन।	1.00	
6.	**अन्य प्रशासनिक संचालन व्यय**		**93.22**
	(i) कार्यालय साफ–सफाई (बाह्य एजेंसी के माध्यम से)	6.50	
	(ii) किराया, महसूल एवं कर	35.00	
	(iii) विद्युत किराया	5.00	
	(iv) किराये के वाहन का व्यय	7.00	
	(v) कार्यालय व्यय	12.50	
	(vi) वेबसाइट का रख–रखाव	7.00	
	(vii) यात्रा व्यय	2.50	
	(viii) अंकेक्षण एवं अन्य विधिक सेवा	1.50	
	(ix) उपस्कर क्रय	3.00	
	(x) IT Systems etc. (MS Office, Webex, License, Antivirus, Laptop, GIS Software etc.)	5.00	
	(xi) वाहन इंधन एवं रख–रखाव	8.22	
		कुल	**566.22**

सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

अनुलग्नक–02

आवंटन वृद्धि की प्रत्याशा में प्रस्तावित पूरक/नये क्रिया–कलाप

क्र०सं०	कार्य मद		राशि (लाख रू०)
1.	(क) स्थानीय निकायों की प्रबन्धन समितियों को बैठक एवं अन्य क्रिया–कलापों हेतु "स्थानीय जैव विविधता निधि" में अनुदान।	200.00	210.00
	(ख) जन जैव विविधता पंजी का उन्नयन	10.00	
2.	**नये शोध अध्ययन क्रिया–कलाप**		42.50
	(क) **कृषि जैव विविधता –** (i) BAU, Bhagalpur (ii) RP. CAU- Vegetable Diversity (iii) ICAR-RCER- Vegetable Diversity (iv) IARI- Regional Station, Pusa- Non-Apis Bees Diversity in Agri-Horticulture cropping.	25.00	
	(ख) **मतस्यिकी जैव विविधता –** (i) Fisheries College, BAU, Katihar	5.00	
	(ग) **आयुर्वेद–जैव विविधता विषय पर बिहार आयुर्वेद महाविद्यालय द्वारा 2 शोध अध्ययन**	7.50	
	(घ) **IT Applications - NIT, Patna**	5.00	
3.	**Urban Biodiversity Studies**		37.50
	4 Urban Zones- Purnea-Katihar, Darbhanga, Chapra, Begusarai- Munger	37.50	
4.	**प्रचार–प्रसार, संबंधी क्रिया–कलाप (कण्डिका में उल्लेखित)**		**10.00**
	कुल		**300.00**

सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।

New proposals for approval in F/Y: 2026-27

Projects received for Collaborative Study

S. N.	Name of Institution/PI	Project Title	Domain	Study Period/ Outlay/ Study Area	Scope of Study	Expected Outcome
1	**Bihar Animal Science University, Patna.** *PI: Dr. Sanjeev Kumar, Professor & Head, Deptt. of Dairy Technology.*	Utilization of Underutilized Fruits (Bael, Moringa) for the Development of Traditional and Value-Added Dairy Products through Biodiversity-Based Approaches.	**Pomology** (Study of Fruits) **& Dairy Science**	3 years/ Rs. 25.70 lacs (9.35+11.85+4.50)/ Vaishali, Jamui, Banka and Nalanda districts.	1. Survey in selected districts. 2. Standardization of formulations of biodiversity-based underutilized fruits- bael and moringa. 3. Disseminate the technology of value-added traditional dairy products.	1. Promotion of bio-diversity based food innovation and rural income generation. 2. Development of a range of traditional and innovative dairy products.
2	ICAR- Research Complex for Eastern Region, Patna. *PI: Dr. Shubha Kumari, Scientist (Veg.)*	Harnessing Underutilized Indigenous Vegetables for Agrobiodiversity Conservation, Nutritional Security and Climate Resilience in Bihar	**Olericulture** (Study and Cultivation of Vegetables)	3 years/19.92 lacs /Katihar (North-East), Vaishali (North-Central), Kaimur (South-West).	To document, characterize and conserve underutilized vegetables, as 1. Fruit vegetables-Kundru/Ivy gourd, pointed gourd, spine gourd; 2. Legume vegetables- winged bean, yardlong bean, rice bean, grass pea; 3. Leafy vegetables- water spinach, indigenous amaranths, chenopods.	1. Documentation with local names, uses and production niches; 2. On-farm conservation, 3- Community seed system; 4. Climate-resilient vegetable options for marginal and rainfed farmers.
3	College of Fisheries, Kishanganj (BASU, Patna). *PI: Dr. Mamta Singh, Asstt. Professor & Head, Dept. of Fish Biotechnology.*	DNA Barcoding and eDNA Surveillance for Fish Fauna of Major Rivers of Bihar: Developing Molecular Reference Library for Biodiversity Conservation	**Ichthyology** (Study of Fish)	3 Years/ Rs.50.38 lacs (19.36+17.16+13.86)/ 3-4 Sampling stations across the length of rivers Ganga, Ghaghara, Gandak, Burhi-Gandak, Kamla Balan and Bagmati in Bihar.	1.Water sampling and collection of fish samples-fish availability and abundance assessment. 2.Processing of sequence data, bioinformatics analysis and database integration. 3.Data analysis and devising a sustainable and effective conservation plan for the rivers surveyed.	1.Comprehensive, validated inventory of fish species in Ganga and its northern tributaries. 2.Integrated molecular reference library for Bihar's freshwater fish fauna. 3. Biodiversity profiles for the major rivers surveyed. 4. Molecular monitoring of fisheries agencies and conservation of threatened species..
4	Department of Horticulture, PG College of Agriculture, Dr. Rajendra Prasad Agriculture University, Pusa. *PI: Dr. Udit Kumar, Associate Professor & HoD, Dept. of Horticulture*	Evaluation of Diversity of Indigenous and Minor Vegetables of Bihar and Study for its Conservation and Utilization Strategy.	**Olericulture** (Study and Cultivation of Vegetables)	3 Years/ Rs.37.25 lacs (9.50+13.00+14.75)/ Diverse agro-climatic zones of North and South Bihar, and tribal regions.	1. Documentation and Characterization of Biodiversity of indigenous and minor vegetables. 2. Nutritional and Biochemical profiling. 3. Conservation strategies of genetic resources. 4. Contribution to sustainable agriculture.	1.Enhancing Nutritional Security. 2.Socio-economic development. 3.Climate resilience and Adaptation. 4.Preservation of ITK and Cultural Heritage. 5. Policy implications and recommendations.

S. N.	Name of Institution/PI	Project Title	Domain	Study Period/ Outlay/ Study Area	Scope of Study	Expected Outcome
5	Bihar Agriculture College, BAU, Sabour, Bhagalpur. *PI: Dr. Monika Patel, Asst. Professor,*	Collection, Maintenance and Utilization of Floristic Diversity of Bihar.	**Floriculture** and Landscaping	3 Years/ Rs. 9.90 lacs / Diverse agro-climatic zones of Bihar	1. Documentation of Floristic resources. 2. Potential for Floristic Development and Conservation efforts. 3. Support to Biodiversity Conservation Policies. 4.Livelihood and Entrepreneurship Opportunities. 5.Climate Change Adaptation.	1. Documentation and database of existing floristic species. 2. Conservation and Evaluation for ornamental and landscaping potential. 3. Utilization and Value Addition-publication of technical reports.
6	ICAR-IARI, RS- Pusa. *PI: Dr. Tamoghna Saha, Senior Scientist, IARI, Pusa*	Diversity, Identification, Conservation and Documentation of Apis and Non-Apis Bees in Key Agri-Horticultural Crops of the Mithilanchal Region, Bihar.	**Agriculture**	2 Years/ Rs. 15.00 lacs / Mithlanchal Region of Bihar-Darbhanga, Madhubani, Muzaffarpur & Samastipur.	1. Documentation of Bee Diversity. 2. Pollinator Efficiency and Behavioral Studies. 3. Landscape and Management Impact Assessment.	1. Documentation of diversity and distribution of Apis and non-Apis bees associated with major agri-horticulture crops of Mithilanchal regions in Bihar. 2. Identifying the dominant pollinator species and assess their foraging behavior and pollination efficiency. 3. Influence of cropping system and management practices on bee abundance and diversity. 4. Develop suitable conservation and habitat enhancement strategies for sustaining bee population.
7	Government Ayurvedic College, Patna. *PI: Dr. Alok Kumar, Assistant Professor.*	1. Study of Medicinal Plants in and around the Forests of Rajgir.	Pharmacology-Horticulture	N.A.	1. Documentation of Med. Plants. 2. Collection and Use with value addition.	1. In-situ Conservation of Med. Plants. 2. Value addition. 3. Guidelines for optimal collection and use. 4. Digital Database.
		2. Distribution of Leeches- effect of Climate Change.	Pharmacology-Hirudinology	N.A.	1. Abundance of leeches in different water bodies. 3. Sustainable use. 2. Effect of Climate Change.	1. Conservation measures. 2. Value addition. 3. Awareness.
				Rs.158.15 lacs		

जैव विविधता विरासत वृक्ष'' कार्यक्रम की मार्गदर्शिका में संशोधन।

उप–कंडिका–4

वन विभाग की अभिरक्षा/प्रबन्धन के अधीन अधिसूचित वन भूमि अथवा अन्य वन भूमि में जैव विविधता विरासत वृक्षों को चिन्हित एवं घोषित किया जाना :–

(क) अधिसूचित वन भूमि एवं अन्य भूमि या परिसर जो वन विभाग की अभिरक्षा/प्रबन्धन में है, पर उपलब्ध वृक्षों को सम्बन्धित वन प्रमण्डल पदाधिकारी की अनुशंसा के आलोक में बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद द्वारा ''जैव विविधता विरासत वृक्ष'' घोषित किया जा सकेगा। ऐसे वृक्षों के पहचान एवं चयन के मानक निम्नवत होंगे:–

(i) वृक्ष, आयु अथवा आकृति में विलक्षण विशिष्टता से युक्त हो।

(ii) वृक्ष, पौराणिक घटनाओं, ऐतिहासिक अवसरों, महत्वपूर्ण घटनाओं, अतिविशिष्ट व्यक्तियों, स्मारकों, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक परम्पराओं (Sacred grove सहित) एवं मान्यताओं से जुड़ा हो।

(iii) वृक्ष, विलुप्त हो रही प्रजाति का हो या इनका प्रजनन नहीं हो रहा हो, अथवा भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण संस्थान द्वारा प्रकाशित संकटापन्न प्रजातियों की सूची में सम्मिलित हो, अथवा वृक्ष प्रजाति प्रथम बार पहचानी गयी हो।

(iv) ऐसा वृक्ष जो किन्हीं संकटापन्न प्रजाति के पक्षी या जन्तु का अधिवास हो।

(v) ऐसा वृक्ष जो अपनी प्रजाति की तुलना में विशेष किस्म के रूप में विकसित किया गया हो अथवा जिसमें सामान्य गुणों की तुलना में विलक्षण गुण प्रदर्शित हो रहा हो।

(vi) वृक्ष, किन्हीं वैज्ञानिक और शोध की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो।

उपरोक्त मानकों में से कोई एक या अधिक मानक युक्त वृक्ष को विरासत वृक्ष के रूप में चयनित किया जा सकता है।

निर्धारित मानकों के आलोक में प्रत्येक प्रस्तावित वृक्ष के लिए निर्धारित प्रपत्र (अनुलग्नक–1) में सूचनाओं का संकलन किया जायेगा।

(ख) इस प्रयोजनार्थ प्रस्तावक सम्बन्धित भू–खण्ड के प्रभारी वनों के क्षेत्र पदाधिकारी होंगे, जो मार्गदर्शिका में प्रस्तावक या भूखण्ड के प्रभारी के उपयोग हेतु दिए गए प्रपन्न में अपना प्रस्ताव वन प्रमण्डल पदाधिकारी को समर्पित करेंगे। वन प्रमण्डल पदाधिकारी प्रस्ताव विवरणी से स्वयं सतुष्ट होकर अपनी अनुशंसा विहित प्रपत्र में वन कार्यनियोजना के प्रभारी पदाधिकारी (वन प्राणी आश्रयणी के मामले में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार) को समर्पित करेंगे तथा एक प्रति बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को अग्रसारित करेंगें। पर्षद द्वारा वन विभाग के वन कार्यनियोजना के प्रभारी पदाधिकारी (वन प्राणी आश्रयणी के मामले में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, बिहार) से

मतव्य / परामर्श प्राप्त कर समुचित सत्यापन कर प्रस्तावित वृक्ष को ष्जैव विविधता विरासत वृक्ष घोषित करने की कार्रवाई की जायगी।

(ग) वन विभाग के नियंत्रणाधीन घोषित जैव विविधता विरासत वृक्षों के संरक्षण हेतु समुचित कार्रवाई वन प्रमण्डल पदाधिकारी द्वारा की जायगी।

(घ) जैव विविधता विरासत वृक्ष के रूप में घोषित वृक्ष का पातन सामान्यतः निषिद्ध रहेगा। अपवाद की अपरिहार्य आवश्यकता की परिस्थितियों में ऐसे वृक्ष के पातन के सम्बन्ध में कार्यनियोजना के प्रभारी पदाधिकारी (वन प्राणी आश्रयणी के मामले में मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक बिहार) की अनुशंसा पर निर्णय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), बिहार द्वारा लिया जायगा एवं इसकी सूचना बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद को दी जाएगी।

सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।